राजस्थान सरकार

कृषि आयुक्तालय, पंत कृषि भवन, जयपुर

क्रमांक प.3 (IV) /आ.कृ./लेखा/म.नि.प्र./2022—23/3216-3340 दिनांकः 16.3.22

1.निदेशक, राज्य कृषि प्रबंध संस्थान दुर्गापुरा, जयपुर।

2. संयुक्त निदेशक कृषि (गुण नियंत्रण) / (वनस्पति) /(पौध व्याधि)/ (कीटनाशी) अवशेष परीक्षण प्रयोगशाला, दुर्गापुरा, जयपुर

3. समस्त संयुक्त निदेशक, कृषि (विस्तार) खण्ड जयपुर/ सीकर/ जोधपुर/जालौर/कोटा/उदयपुर भीलवाड़ा/श्रीगंगानगर/बीकानेर।

4. संयुक्त निदेशक, कृषि (तिलहन) भरतपुर।

विषयः—महालेखाकार निरीक्षण प्रतिवेदनों की लंबित प्रथम अनुपालना एवं बकाया अनुच्छेदों की ठोस एवं सारगर्भित नवीनतम अनुपालना मय प्रमाणित दस्तावेजों के निर्धारित प्रपत्र में भिजवाने बाबत।

प्रसंगः— आयुक्तालय पत्रांक 1751—67 दिनांक 19.03.2020, 1336—42 दिनांक 12.06.2020, 2836—2841 दिनांक 04.08.2020, 6305—6314 दिनांक 15.01.2021, 6441—51, 6496—97, 6501—6533 दिनांक 22.01.2021, 7287—407 दिनांक 08.02.2021एवं 2656—2780 दिनांक 09.07.2021 3471—3595 दिनांक 02.08.2021 14—139 दिनांक 26. 11.2021 के क्रम में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्रों के द्वारा लिखने के उपरान्त भी आपके कार्यालय एवं अधीनस्थ कार्यालयों के द्वारा महालेखाकार निरीक्षण प्रतिवेदनों के लंबित प्रथम अनुपालना एवं बकाया आक्षेपों की ठोस एवं सारगर्भित नवीनतम अनुपालना मय प्रमाणित दस्तावेजी साक्ष्य के महालेखाकार को नहीं भिजवायी जा रही है, जिससे लम्बी अवधि से बकाया चल रहे आक्षेपों का समय पर निस्तारण नहीं हो पा रहा है। इससे बकाया आक्षेपों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। साथ ही समय पर ठोस एवं सारगर्भित नवीनतम अनुपालना मय प्रमाणित साक्ष्यों के नहीं भिजवाने के कारण अंकेक्षण का महत्व भी गौण हो जाता है। इस विलम्ब को उच्चाधिकारियों, महालेखाकार, ऑडिट कमेटी द्वारा गंभीरता से लिया जा रहा है। बकाया आक्षेपों की ठोस एवं सारगर्भित नवीनतम अनुपालना मय प्रमाणित साक्ष्यों के समय पर नहीं भिजवाना राजकीय कार्य के प्रति लापरवाही व उदासीनता का द्योतक है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आपके अधीनस्थ कार्यालयों के महालेखाकार निरीक्षण प्रतिवदनों की लंबित प्रथम अनुपालना एवं बकाया अनुच्छेदों की ठोस एवं सारगर्भित नवीनतम अनुपालना मय प्रमाणित साक्ष्यों के (संलग्न सूची के अनुसार) आपकी टिप्पणी सहित महालेखाकार को अनिवार्य रूप से 25.03.2022 तक भिजवाते हुए इस आशय की सूचना से लेखा शाखा, कृषि आयुक्तालय को सूचित करें। साथ ही खण्डीय कार्यालय एवं दुर्गापुरा, जयपुर स्थित समस्त क्षेत्रीय कार्यालय अपनी अनुपालना मय प्रमाणित साक्ष्यों के लेखा शाखा, कृषि आयुक्तालय को दिनांक 22.03. 2022 तक दिवस में भिजवाया जाना सुनिश्चित करे ताकि प्राप्त अनुपालना नियंत्रण अधिकारी की टिप्पणी उपरांत महालेखाकार कार्यालय को भिजवाई जा सके। अब विलम्ब होने की स्थिति में आप व्यक्तिशः उत्तरदायी होंगे जिसके लिए नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

पत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता देवें।

संलग्न :— उपरोक्तानुसार।

15/3/22

(डॉ0 ओमप्रकाश)
आयुक्त, कृषि

क्रमांक प.3 (IV)/आ.कृ./लेखा /म.नि.प्र./2022—23/ दिनांकः

प्रतिलिपी निम्नांकित का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1 उप निदेशक कृषि (विस्तार)/(आत्मा)/(शस्य)/सहायक निदेशक कृषि (विस्तार)/कृषि अनुसंधान अधिकारी/..को प्रेषित कर लेख है कि महालेखाकार निरीक्षण प्रतिवेदनों के बकाया आक्षेपों की ठोस अनुपालना 03 दिवस में संयुक्त निदेशक कृषि काय लिय / नियंत्रण अधिकारी को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

2. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त कार्यालय पत्र को कृषि विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध करावें।